Welcome to Yatra 2018

Some Do's and Don'ts for travelling on hill routes during Yatra season

	Do's
1-	The Motor vehicles with wheel base more than 4225 mm, overall width more than 2500 mm and overhang more than sixty percent shall not be permitted for religious tour on yatra hill routes. (except Dehradun-mussoorie route where the wheel base may be 4963 mm.)
2-	Only experienced and efficient driver should drive on hill routes.
3-	Driver shall have the list of the passengers travelling in the vehicle.
4-	The driver of the motor vehicle proceeding down hill shall give way to a vehicle proceeding upward.
5-	The First Aid Box and a wooden chock shall be kept in the vehicle.
6-	The vehicle should be technically fit for hill routes; specially it is necessary to check brakes, steering, wheel, level of engine oil, coolant, battery and tyres, beforehand and keep these in order
7-	It is advisable to use genuine parts during the repairs of the vehicle and the vehicle should be repaired by the technically skilled persons only.
8-	Driver should keep all the valid documents of vehicle.
9-	Backlights and stoplights in working condition should be fixed on the rear part of the vehicle.
10-	Periodical eye test is advised to every person driving a vehicle.
11-	It is mandatory for every public service vehicle to obtain "Green Card" from any of the nearest Transport office in Uttarakhand before proceeding on religious tour. This is issued after the inspection of the vehicle and it is a consolidated statement of its certificate of fitness, route permit, tax deposit certificate, insurance certificate and driving license.
12-	Always use horn on curves and bends on hill routes.
13-	Always apply hand brakes while parking the vehicle.
14-	Emergency door is compulsory in Tourist buses.
	Don't
1-	Non transport vehicles are not authorized to carry passenger for hire and reward, therefore, don't travel in such un-authorized vehicles.
2-	The vehicle should not be driven by inexperienced person, or by the helper of the driver or by a person who does not hold a valid licence to drive the vehicle of appropriate category.
3-	Do not drive on hill routes before 5 A.M. and after 7 P.M..
4-	Hill routes have steep gradience with a succession of curves and bends, therefore, don't drive in excessive speed.
5-	Don't driver while wearing rubber sleepers. Wear shoes while driving.
6-	No driver shall perform steering wheel duty for more than eight hours in a day.
7-	Special care be taken to ensure that the vehicle is not driven by a person under the influence of liquor or any drugs.
8-	Driver should not operate tape or radio etc in a moving vehicle.
9-	Passengers or goods beyond permissible limits should not be carried in the vehicle.
10-	Don't travel in trucks or Goods vehicles.
11-	It is advisable not to use the re-treaded tyres on the hill roads.
12-	Don't use dazzling headlights in your vehicle.
13-	Don't overtake without getting pass from the vehicle in front. Never overtake an overtaking vehicle.
14-	Don't carry inflamable goods or articles as kerosene/ gas/petrol/Diesel in the vehicle.

Issued in public interest by Transport Department, Govt. of Uttarakhand
Phone number: Transport Commissioner, Uttarakhand, Dehradun 0135-2608105, 2608106, 2608107
Regional Transport Officer, Dehradun (0135-2743432), Pauri (01368-223003), Haldwani (05946-260207)
Asstt. Regional Transport Officer, Haridwar (01334-239767), Rishikesh (0135-2430623), Kotdwar (01382-229412)
For more details please visit our website http://transport.uk.gov.in/

	करें
1–	पर्वतीय मार्गो पर 4225 मि0मी0 (देहरादून–मसूरी मार्ग में 4963 मि0मी0 इंच को छोड़कर) से अधिक व्हीलबेस, 2500 मि0मी0 से अधिक समग्र चौड़ाई एवं 60 प्रतिशत से अधिक ओवर हैंग के वाहन में यात्रा अनुमन्य नहीं है।
2–	पर्वतीय मार्गो पर अनुभवी एवं दक्ष चालक के साथ ही यात्रा करें।
3–	चालक प्रत्येक यात्री वाहन में यात्रियों की सूची अपने पास रखें।
4–	पर्वतीय मार्गो पर चढाई की ओर जाने वाले वाहनों को पहले जाने के लिये रास्ता दें।
5–	वाहन में फर्स्ट एड बाक्स तथा लकड़ी के गुटके अवश्य रखें।
6–	पर्वतीय मार्गो पर वाहन तकनीकी रूप से ठीक होना आवश्यक है। विशेष रूप से इंजन ऑयल, कूलैन्ट, बैटरी, ब्रेक, टायर, स्टेयरिंग आदि की जांच आवश्यक है।
7–	चालक वाहन के समस्त वैध प्रपत्र रखें।
8–	डुप्लीकेट पार्ट्स के स्थान पर औरिजनल पार्ट्स का ही प्रयोग किया जाये तथा वाहन की मरम्मत कुशल एवं प्रशिक्षित मिस्त्रियों से ही करायें।
9–	वाहनों में अनिवार्य रूप से बैक लाईट एवं स्टॉप लाईट्स पृष्ठ भाग में कार्यशील हालत में लगाये जायें।
10–	प्रत्येक चालक समय–समय पर अपने नेत्रों की जांच कराये।
11–	पर्वतीय मार्ग पर यात्रा से पूर्व प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निकटतम स्थित किसी एक परिवहन कार्यालय से ग्रीन कार्ड अवश्य प्राप्त करना होगा। ग्रीन कार्ड वाहन के परीक्षण के पश्चात दिया जाता है तथा यह वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र, वैध परमिट, बीमा प्रमाणपत्र, कर जमा प्रमाणपत्र, चालक/परिचालक के लाईसेन्स का संकलित विवरण होता है।
12–	पर्वतीय मार्गो में मोड़ों पर हार्न का प्रयोग अवश्य किया जाए।
13–	वाहन को पार्क करते समय हैण्ड ब्रैक का प्रयोग अवश्य करें।
14–	टूरिस्ट बसों में आपातकालीन दरवाजा होना आवश्यक है।
	न करें
1–	प्राईवेट वाहनों में किराये की सवारी के रूप में यात्री ढोना अनुमन्य नहीं है। अतः ऐसी अनाधिकृत वाहन में कदापि यात्रा न करें।
2–	अप्रशिक्षित चालक, चालक के सहायक या ऐसा व्यक्ति द्वारा वाहन न चलाया जाए। जो प्रासंगिक श्रेणी के वाहन का वैध लाइसेंस धारक न हो।
3–	पर्वतीय मार्गो पर प्रातः 5 बजे से पूर्व एवं सायं 7 बजे के बाद वाहन न चलायें।
4–	पर्वतीय मार्ग घुमावदार ओर सीधी चढाई वाले सर्पिल मार्ग है अतः तेज गति से वाहन न चलायें।
5–	चालक चप्पल पहन कर वाहन न चलायें। वाहन चलाते समय चालक द्वारा जूते अवश्य पहने जायें।
6–	चालक से आठ घण्टे से अधिक स्टीयरिंग ड्यूटी न लें।
7–	इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वाहन शराब या अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन किये हुए व्यक्ति द्वारा न चलाया जाए।
8–	मार्ग पर गतिमान वाहनों में चालक द्वारा रेडियो या टेपरिकार्डर का संचालन नही किया जाए।
9–	वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री या सामान न ले जाएं।
10–	ट्रकों आदि माल वाहनों में यात्रा न करें।
11–	पर्वतीय मार्ग पर वाहन में रिट्रेडेड टायर्स का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है।
12–	वाहन में चकाचौंध करने वाली बत्तियों का प्रयोग नहीं करें।
13–	सामने वाले वाहन से पास लिये बिना ओवरटेक नहीं करें। ओवर टेक करते हुये वाहन को कदापि ओवरटेक नहीं करें।
14–	मिट्टी का तेल/गैस/पैट्रोल/डीजल आदि ज्वलनशील पदार्थ वाहन में न ले जाये जायं।

जनहित में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रसारित

दूरभाष संख्या– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून 0135-2608105, 2608106, 2608107

संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून (0135-2743432) पौडी (01368-223003) हल्द्वानी (05946-260207)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार (01334-239767), ऋषिकेश (0135-2430623), (01382-229412)
अधिक जानकारी के लिये हमारी वैबसाईट http://transport.uk.gov.in/ पर संपर्क करें।